न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़

पीठासीन अधिकारी — भवानीसिंह पालावत आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 58/अपील/17 — तारीख दायरा 20.06.17

जमील खॉ आ0 सुभान खॉ जाति मुसलमान निवासी अकलेरा तहसील अकलेरा जिला झालावाड़

————————————अपीलान्ट

बनाम

1. भंवरीबाई पुत्री सुभान खॉ जाति मुसलमान निवासी नई बस्ती रजाक ठेकेदार के पास अकलेरा तहसील अकलेरा जिला झालावाड़
2. बुरोबाई उर्फ फातमा बाई पुत्री सुभान खॉ जाति मुसलमान निवासी नई बस्ती रजाक ठेकेदार के पास अकलेरा तहसील अकलेरा जिला झालावाड़
3. फरीदाबाई पुत्री सुभान खॉ पत्नि मुन्ना खॉ लेडिज टेलर जाति मुसलमान निवासी मस्जिद के पास सुकेत तहसील रा0मण्डी
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सा0 अकलेरा

————————————रेस्पोडेन्टस

अपील बनाराजगी आदेश न्यायालय तहसीलदार अकलेरा दिनांक 29.08.1998 नामा0सं0 235

उपस्थितः— 1. श्री संजय सक्सेना वकील अपीलान्ट
2.श्री मंसूर आलम वकील रेस्पो0 नं0 1 लगायत 3

—: निर्णयः— दिनांकः— 23.01.2018

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जर्ये अभिभाषक तहसीलदार अकलेरा के निर्णय दिनांक 29.08.1998 से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सुभान खॉ के स्वर्गवास हो गया था— जिसके उत्तराधिकारी में लडके जमीलखॉ, सुलेमान खॉ थे तथा लडकी भंवरीबाई, बुरोबाई उर्फ फातमाबी, फरीदा बी थी। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने लड़के लड़की का समान भाग के नाम इन्तकाल खोल कर कानूनी गलती की है—मुस्लिम लॉ के अनुसार सभी लड़कों का हिस्सा 2/3 होता है तथा लडकियों व बेवा का हिस्सा 1/3 होता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समान हिस्से का नामान्तकरण खोल दिया जो कानूनी एवं तथ्यपूर्ण गलती है—अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का भी पर्याप्त अवसर प्रदान नही किया गया है। अतः अपील अपीलान्टस अन्दर मियाद दर्ज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जेरे अपील निरस्त किया जावें।

अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की गई। रेस्पोडेन्टस को जर्ये सम्मन तलब किया गया रेस्पोंडेन्टस नं0 1 लगायत 3 की ओर से वकील श्री मंसूर आलम द्वारा वकलातनामा पेश किया गया। वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील ममो को दोहराते हुए अनुरोध किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय नियम विरूद्व होने से निरस्त होने योग्य है, अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.09.1998 निरस्त किया जावे। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथना किया कि वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमो में उक्त अपील देरी से प्रस्तुत किये जाने का कोई उचित कारण अंकित नही

अति० कलक्टर एवम्
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

किया है, उक्त अपील दर्ज होन योग्य ही नही है, तथा उक्त भूमि के बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अकलेरा में प्रकरण विचाराधीन है, जिसके अनुसार खातेदार के हुकूक अदा होंगे नामान्तकरण खोलने की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है, जिससे केवल मात्र यह तय होता है कि भूमि का लगान किस व्यक्ति से वसूल किया जाना है–इन्तकाल से पक्षकारान के हक–हकुकों का निर्धारण नही हेाता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं बहस पर गौर किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदारान के अधिकारों के संबंध में विवादित आराजी का प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अकलेरा में विचाराधीन है जिसमें पक्षकारान के अधिकारों का निर्धारण होगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.08.98 नामा0 सं0 235 ग्राम रतनपुरा तहसील अकलेरा निरस्त किया जाता है। पक्षकारान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अकलेरा में विचाराधीन बंटवारे के प्रकरण में अपने हक तय करावे, तद्उपरान्त तहसीलदार अकलेरा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अकेलेरा द्वारा पारित आदेश की पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 23.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भवानीसिंह पालावत)
अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त
जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड